

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 16/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

अजय कुमार पुत्री माडूराम जाति मेघवाल निवासी चक 1 जे.बी.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. माडूराम पुत्र बद्रीराम जाति मेघवाल निवासी चक 1 जे.बी.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. अनीता रानी पत्नी राकेश कुमार पुत्री माडूराम जाति मेघवाल निवासी रोहरनवाली जिला सिरसा हरियाणा।
3. सुनीता पत्नी संजय कुमार पुत्री माडूराम जाति मेघवाल निवासी रोहरनवाली जिला सिरसा हरियाणा।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पेरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रविकुमार सुथार वकील-वादी

श्री राजेन्द्र थोरी प्रतिवादी सं. 1 ता 3

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक- 15-01-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि आराजी जरई रोही मौजा चक 1 जे.बी.डी. तहसील रावतसर के खाता सं. 131/1 के प.नं. 213/34(39) के कि0नं0 6/2 व 15 की 0.0500 है0 अनकमाण्ड, प0नं0 213/42(40) के कि0नं0 1/2, 2/2, 3/1, 4/2, 5/1, 7/1, 8/1, 9/2, 10/1, 11 व 12 की 2.4790 है0 अनकमाण्ड कुल तादादी 2.5290 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि में से वादी को 1.7710 है। भूमि का व प्रतिवादी सं. 1 को 0.758 है। भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15-01-2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

